

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांत:-

बनाम

रेस्पोजेन्ट :-

श्री हरिसिंह लम्बोरा, निवासी 80, बृजराज
इन्कलेव, पांच्यावाला, जयपुर (राज.) 302034

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर)
पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 11/2019

R.C.M.S. No. --2019/00

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>21/5/19</p> <p>29/5/19</p>	<p>अपीलांत ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलेक्टर) पाली द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोजेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p> <p>अपीलांत द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि लोक सूचना अधिकारी (A.D.M) पाली द्वारा अपील द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है जो करवाए जाये।</p> <p>अपील अपील दर्ज रजिस्टर के लोक सूचना अधिकारी (A.D.M) पाली को जरूर पत्रांक क्र. 18/544 डि. 6-5-19 के इस न्यायालय द्वारा लिखे गए पत्रांक सं. लो सू. 483/2019/1071 दिनांक 21-5-2019 के तहत कराया कि अपीलकर्ता द्वारा वांछित सूचना अपीलांत को उनके पत्रांक सं. लो सू. 483/2019/384 दिनांक 4-4-2019 के द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। एवं अपीलकर्ता द्वारा राज. राज्य सूचना आयोग जयपुर में दीर्घ अपील प्रस्तुत कर दी गई है। प्रस्तुत पत्रांक अपील का निस्तारण करवाये। इस अपील में वांछित सूचना अपीलकर्ता को उपलब्ध करा दी गई है तथा अब इस अपील के किसी भी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह अपील दायर की जारी है। लोक सूचना अधिनियम का पत्र शामिल मिलने पर पत्रावली सुनार फेराल की जाकर मजबूत से करेगा।</p> <p style="text-align: right;">जिला कलेक्टर, पाली</p>	<p>547-45 6-5-19</p> <p>29/5/19</p> <p>752 4/6/19</p>